

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्या: कोविड-19/2021

381

आदेश

दिनांक: 05 मई 2021

11

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 548/पॉच-5-2020, दिनांक: 14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम् संसोधन) दिनांक: 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांक: 30 जून 2021 तक या जब तक अग्रेतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।


अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या: कोविड-19/2021/368, दिनांक: 05 मई 2021 के द्वारा जिला चिकित्सालय बाराबंकी के आंशिक भाग में एल-2 समकक्ष कोविड चिकित्सालय संचालित किये जाने हेतु चिकित्सकों एवं कार्मिकों की ड्रियूटी लगाई गई थी।

डा० विनोद कुमार, सर्जन, जिला चिकित्सालय बाराबंकी के स्थान पर डा० एस०बी०सिंह, सर्जन जिला चिकित्सालय बाराबंकी एवं डा० दीपक कुमार, चिकित्सा अधिकारी सामु०स्वा०केन्द्र घुघटेर के स्थान पर डा०नवनीत यादव, चिकित्सा अधिकारी, सामु०स्वा०केन्द्र घुघटेर बाराबंकी की ड्रियूटी कोविड समर्पित चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय बाराबंकी में अग्रिम आदेशों तक लगाई जाती है।

संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी योगदान की आख्या नोडल अधिकारी डा० राजेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बाराबंकी को दिनांक: 11 मई 2021 को प्रातः 08:00 बजे प्रत्येक तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश इस सीमा तक संसोधित समझा जाये।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 (कोरोना वायरस) सक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा। साथ ही सुसंगत धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज कराई जायेगी।


डा० आनंद सिंह
जिलाधिकारी
बाराबंकी।

संख्या: कोविड-19/2020

7131

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ०प्र० लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० अयोध्या मण्डल अयोध्या।
5. प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को उक्त कोविड चिकित्सालय में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
9. उप जिला अधिकारी, बाराबंकी नवाबगंज बाराबंकी।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बाराबंकी।
9. संबंधित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
10. संबंधित अधीक्षक, सामु०स्वा०केन्द्र बाराबंकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी